"आंतरिक सर्कुलेशन"

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0
चालन शाखा
पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल (म.प्र.)

कं 1069 h/चालन/पविनि/2015 **भोपाल दिनांक 9/10/2015**

प्रति,

समस्त इकाईयॉ/क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ....

विषय– डिस्काउंट कार्ड से सम्बंधित दिशा निर्देश।

निगम के व्यवसायिक हित को ध्यान में रखते हुये निम्नांकित कार्ड जारी किये गये है। इसको लागू करने से मध्यप्रदेश पर्यटन निगम का व्यवसाय बढ़ेगा साथ ही निगम की ब्रांडिंग का भी लाभ प्राप्त हो सकेगा। जारी किये गये कार्ड के दिशा निर्देश निम्नानुसार है।

1. **प्रिविलेज कार्ड** : इस कार्ड के धारकों को मैम्बरशिप के लिये रू. 5000/– की राशि जमा करने के उपरान्त जारी किये गये है। प्रत्येक कार्ड धारक के नाम के आधार पर कार्ड बनाये गये है। यह कार्ड दो वर्ष के लिये वैध होंगे। इस कार्ड के धारकों को प्रिन्टेड टेरिफ पर 20 प्रतिशत् तथा खानपान एवं बेवरेज (नॉन अल्कोहल) पर 15 प्रतिशत् की छूट अधिकतम (06 व्यक्तियों) पर देय होगी। कार्ड धारक को छूट का लाभ लेने के लिये स्वंय उपस्थित होना आवश्यक हैं साथ ही पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह कार्ड अहस्तांतरणीय है। इस कार्ड के धारकों को एक कक्ष एक दिन के लिये कॉम्प्लीमेन्ट्री प्रदान किया जावेगा। यह सुविधा कार्ड धारक दो वर्ष के मध्य कभी भी ले सकता है। इस सुविधा का लाभ कार्ड जारी होने की तिथि से तीन माह के पश्चात् लिया जा सकता है। इस कार्ड के धारक अधिकतम दो कक्ष एवं 04 से 06 व्यक्ति लाभ ले सकते है। एक वर्ष में अधिकतम 10 रूम नाईट की सुविधा का लाभ ले सकता है। इस कार्ड धारक को मैरिज पार्टी, बैंकेट पार्टी, स्पेशल पैकेज एवं अन्य पार्टी में छूट का लाभ प्राप्त नही होगा। कार्ड के गुम हो जाने की स्थिति में रू. 1000/– की राशि जमा करके नया डुप्लीकेट कार्ड जारी किया जा सकेगा। इस कार्ड के धारकों को प्रत्येक लॉजिंग के ट्रान्जेक्शन पर बोनस अंक प्रदान किये जायेंगे। यह बोनस अंक प्रत्येक रू. 100/– की राशि पर एक पाईंट होगा। यह बोनस अंक केवल लॉजिंग के देयक पर दिया जावेगा। उदाहरणार्थ लॉजिंग देयक रू. 5250/– होने पर कार्ड धारक को 52.50 पाईंट प्राप्त हो सकेंगे। इसके लिये निम्नांकित लिंक www.privilege.mptourism.com पर जानकारी अंकित करने की जिम्मेदारी सम्बंधित इकाई प्रबंधक की होगी। उक्त कार्ड धारक एवं कार्ड नम्बर की जानकारी उक्त लिंक पर पूर्व से ही अंकित है। प्राप्त पाईंट की राशि का समायोजन आवास आरक्षण एवं मैम्बरशिप के रिन्यूवल में किया जावेगा।

2. **प्रिविलेज कार्ड (1)** : यह कार्ड मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, शासन के मंत्री, लोकसभा एवं राज्य सभा के सांसद सदस्यों को जारी किये गये हैं जिसके दिशा निर्देश निम्नांनुसार है।
   - उक्त कार्ड धारक को 40 प्रतिशत् की छूट खानपान में अलाकाट मीनू अधिकतम 06 व्यक्ति को (मदिरा को छोड़कर) दी जावेगी।
   - इस कार्ड के धारक अधिकतम दो कक्षों पर लॉजिंग एवं 04 से 06 व्यक्ति लाभ ले सकते है।
   - किसी भी एक छूट का लाभ एक समय में ही दिया जावेगा।
   - इस कार्ड धारक को मैरिज पार्टी, बैंकेट पार्टी, स्पेशल पैकेज एवं अन्य पार्टी में छूट का लाभ प्राप्त नही होगा।
   - कार्ड धारक को छूट का लाभ लेने के लिये स्वंय उपस्थित होना आवश्यक हैं साथ ही पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(PTO)

3. **मध्यप्रदेश डिस्काउंट कार्ड :** 10 वॉ विश्व हिन्दी सम्मेलन 2015 जोकि दिनांक 10,11 एवं 12 सितम्बर 2015 को भोपाल में आयोजित किया गया था में रजिस्टर्ड विद्वानों को निगम की ओर से उक्त डिस्काउंट कार्ड प्रदान किये गये है। इस डिस्काउंट कार्ड पर यूजर का नाम अंकित नही है। इस कार्ड की कम संख्या 0001 से 1000 तक है। अन्य शर्ते निम्नानुसार है।

- यह कार्ड एक वर्ष के लिये 30 सितम्बर 2016 तक के लिये वैध होगा।
- कार्ड धारकों को होटल में आवास सुविधा पर 30 प्रतिशत् तथा भोजन पर 20 प्रतिशत् की छूट दी जावेगी।
- छूट केवल नगद भुगतान पर ही दी जावेगी।
- छूट केवल दो कमरों पर 04–06 व्यक्तियों के लिये होगी।
- छूट प्राप्त करने के लिये डिस्काउंट कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- यह अहस्तांतरणीय है।
- कार्ड धारक को छूट का लाभ लेने के लिये स्वंय उपस्थित होना आवश्यक हैं साथ ही पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. **पर्यटन वर्ष 2015–16 के अवसर पर जारी किये गये प्रिविलेज कार्ड** : पर्यटन वर्ष 2015–16 के अवसर पर यह कार्ड जारी किये गये है। इसके दिशा निर्देश निम्नांनुसार है।

- यह कार्ड एक वर्ष के लिये 30 सितम्बर 2016 तक के लिये वैध होगा।
- कार्ड धारकों को होटल में आवास सुविधा पर 30 प्रतिशत् तथा भोजन पर 15 प्रतिशत् की छूट (मदिरा को छोड़कर) दी जावेगी।
- छूट केवल नगद भुगतान पर ही दी जावेगी।
- छूट केवल दो कमरों पर 04–06 व्यक्तियों के लिये होगी।
- छूट प्राप्त करने के लिये डिस्काउंट कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- यह अहस्तांतरणीय है।
- कार्ड धारक को छूट का लाभ लेने के लिये स्वंय उपस्थित होना आवश्यक हैं साथ ही पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उक्त कार्डो की जानकारी www.privilege.mptourism.com लिंक पर अंकित है। इकाई प्रबंधक यूजर को डिस्काउंट देने के पश्चात् जानकारी अंकित करें। उक्त जानकारी को अपलोड करने में किसी प्रकार की समस्या होने पर दूरभाष कमांक 0755–4027136/9926617180 पर श्री तरूण गुर्जर से सम्पर्क कर समस्या का समाधान किया जा सकता है।

09/10/15
महाप्रबंधक (चालन)

पृ. कमांक–10695/चालन/2015 **भोपाल, दिनांक 9 /10/2015**

प्रतिलिपी :–

1. प्रबंध संचालक महोदय, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को सूचनार्थ।
2. अपर प्रबंध संचालक महोदया, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को सूचनार्थ।
3. कार्यपालिक निदेशक निगम मुख्यालय, भोपाल।
4. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, निगम मुख्यालय, भोपाल को सूचनार्थ।
5. समस्त पर्यटक सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, को सूचनार्थ।
6. रिर्जवेशन हब, निगम मुख्यालय भोपाल को सूचनार्थ।

09/10/15
महाप्रबंधक (चालन)